FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0062 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/04/2024 13:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भा दं सं 1860	384

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** रविवार **Date From (दिनांक से):** 14/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/04/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:10 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/04/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/04/2024 13:41:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** DUDU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURYAPRAKASH URF TEJU

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHANWAR LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KALIMATA KA MOHALLA, DUDU, दूदू, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KALIMATA KA MOHALLA, DUDU, दूदू, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9588056161

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HANUMAN MAL DHAKA IAS		पिता:HARIRAM	1. 121,LANE NO-04,GURU JAMBESHWAR NAGAR-A,TULSIRAM MARG,GANDHIPATH VAISHALI NAGAR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	HANSRAJ PATWARI		पिता:CHITTERMAL	1. MAVALIYO KI DHANI, URSEVA,दूदू,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि पंद्रह लाख	15,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 15,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि परिवादी श्री सुर्यप्रकाश उर्फ तेजु पुत्र श्री भंवरलाल निवासी कालीमाता का महोल्ला जिला दूदू ने दिनांक 14.04.2024 को एसीबी कार्यालय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का पेष किया कि- 'सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ चौकी जयपुर शहर जयपुर। विषय- श्री हनुमान मल ढाका जिला कलक्टर दूदू द्वारा गंगाविशन गुप्ता वगैर के फार्म हाउस की खातेदारी भूमि गैर0मु0 तालाबी की भूमि का गलत संपरिविर्तन करवाने की धमकी देकर 25 लाख रूपये रिश्वत मांगने बाबत। महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि मै सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजू निवासी दूदू का हू। मै श्री गंगाबिशन वगै की मूल भूमि 204 बीघा जिला दूदू अजमेर हाईवे पर मुझे मेनेजर रखा हुआ है तथा मुझे इस भूमि का समस्त प्रकार के कार्य करने की अथोरिटी लेटर एवं बोर्ड रिजोलेशन दे रखा है। दिनांक 08.04.2024 को मुझे पता चला कि किसी व्यक्ति ने हमारी भुमि के संबंध में कोई शिकायत हुई है। मेने हल्का पटवारी दूदू हंसराज चौधरी से इस शिकायत के बारे में सम्पर्क किया तो हंसराज चौधरी हल्का पटवारी ने मुझे दिनांक 13.04.2024 बताया कि कलक्टर साहब तुम्हारी कम्पनी की भूमि पर अब्दुल रहमान प्रकरण को लेकर नाराज है और तुम्हारे खिलाफ सोमवार 15.04.2024 को कडी कार्यवाही करने के मूड में है उनसे जाकर मिल लो वरना मुझे सोमवार को तुम्हारे खिलाफ मजबूरन कार्यवाही करनी पडेगी। श्रीमान मे जब कलक्टर साहब से दिनांक 08.04.2024 को मिला था तब कलक्टर साहब ने मेरे को शिकायत की जानकारी देते समय 25 लाख रू में शिकायत का निस्तारण करने को कहा था परन्तु मेने इस बात को उस समय गंभीरता से नहीं लिया था। किन्तु अब पटवारी हल्का हंसराज ने बार बार कलक्टर साहब से मिलने की बात कहने पर पूर्ण विश्वास हो गया कि कलक्टर साहब मेरे से 25 लाख रू रिश्वत की मांग दिल्ली वाली शिकायत को खत्म करने की एवज में मांग कर खत्म करेंगे। मेरे द्वारा यह जानकारी कम्पनी के मालिको को बता दी है। उन्होने मुझे एसीबी में रिपोर्ट करने के लिए सहमति दी है। हमारी कम्पनी का समस्त कार्य नियमानुसार किया गया है। जिला कलक्टर दूदू श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) द्वारा मुझसे कम्पनी की उक्त भुमि के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। रिपोर्ट करता हूं कि उचित कार्यवाही करें मेरी हनुमान मल ढाका से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी/रंजिस नहीं है। प्राथी सुर्यप्रकाश उर्फ तेजु पुत्र श्री भंवरलाल निवासी कालीमाता का महोल्ला दूदू जिला दूदू मोबाईल नम्बर 9588056161, इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से मजिद दरियाफ्त करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा जानकार द्वारा लिखवाया गया तथा परिवादी ने बताया कि श्री गंगाविशन व अन्य के नाम दूदू में लगभग 204 बीघा जमीन है जिनकी देखभाल मै स्वयं करता हू तथा श्री गंगाविशन व अन्य दिल्ली निवास करते है मुझे इन्होने अथॉरिटी लेटर व कम्पनी बोर्ड को रिजोलेशन दे रखा है जिसके द्वारा मै इनकी भूमि के रेवेन्यू से संबंधित सभी कार्य करवाता हू तथा जमीन की आवश्यकतानुसार कन्वर्जन कराता हू। मैने 204 बीघा जमीन में से तीन खसरा नम्बर का कन्वर्जन करवाया था जिनमें से तीन खसरा नम्बर 4601 रकबा 0.46 है., 4596 रकबा 1.41 है., खसरा नंबर 4600 रकबा 0.43 है. भूमि तालाब/पाल क्षेत्र की है। जिनमें खसरा नंबर 4601 में रकबा 0.590, खसरा नंबर 4596 में रकबा 0.2258 की भूमि कन्वर्जन हो चुकी है। उक्त भूमि को श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू ने गलत कन्वर्जन होना बता रहे है, जिसे पुनः निरस्त करने व दिल्ली से कोई शिकायत हो रखी है, जिसका निस्तारण करने की एवज में श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू द्वारा मेरे से रिश्वत राशि 25 लाख रूपये की मांग की जा रही है। मेरी श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है तथा न ही कोई लेन देन शेष है। मै श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू को रिश्वत लेते हुऐ को पकडवाना चाहता हू। परिवादी से मजिद दरियाफ्त व प्रार्थना पत्र से मामला एक लोकसेवक द्वारा रिश्वती राशि की मांग कर प्राप्त करने का प्रथम दृष्टया पाये जाने पर मांग सत्यापन करवाना आवश्यक है।

परिवादी ने बताया कि मै सुबह जिला कलक्टर निवास पर जाकर पता किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू किसी कार्य से जयपुर गये है। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री सरदार सिंह कानि. नं. 187 व श्री इन्द्र सिंह कानि. नम्बर 148 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री सुर्यप्रकाश उर्फ तेजू सैनी का आपस में परिचय करवाया। कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया एसडी/मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB निकलवाकर उसका खाली होना सुनिष्चित करवाकर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया की समझाईष की गई। परिवादी सुर्यप्रकाश उर्फ तेजू सैनी व श्री सरदार सिंह को आपस में एक-दूसरे के मोबाईल नंबर लेने के लिए कहा तथा श्री सरदार सिंह कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एसडी कॉर्ड सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी जाकर रिश्वती राशि की मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी के साथ जाने के निर्देश दिये। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल नम्बर 9588056161 से वाट्सएप कॉल पर श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) के मोबाईल नम्बर 9929597474 पर परिवादी के मोबाईल के लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई तो श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) ने कहा कि शाम को दूदू में निवास पर ही मिलते है। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मेरे निजी कार्य होने से अभी जाना जरूरी है, मै आपको शाम को समय करीब 6.00 बजे दूदू मिल जाउंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर रूखस्त किया। समय 04.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय सरदार सिंह कानि. एवं श्री इन्द्र सिंह कानि मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय से दूदू के लिए रवाना होकर दूदू में पुलिया के पास पहुचे, जहां पर परिवादी श्री सूर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजू उपस्थित मिला, जिसने स्वयं के निवास पर चलने के लिए कहा, जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पहुचें। जहां पर परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू अपने निवास पर है, अभी रिश्वती राशि की मांग सत्यापन की कार्यवाही हो सकती है। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने श्री सरदार सिंह कानि. को हिदायत दी की आप परिवादी श्री सूर्यप्रकाश सैनी के साथ मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु जाए तथा परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को संदिग्ध आरोपी के पास मांग सत्यापन वार्ता हेतु जाने से पूर्व चालू करके देवें तथा परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू-बंद करने की प्रक्रिया पुनः समझाईश कर बाद हिदायत परिवादी के निजी वाहन से समय 6.25 पीएम पर रवाना किया। समय 07.00 पीएम पर श्री सरदार सिंह कानि मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय परिवादी श्री सूर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजू उपस्थित आए तथा श्री सरदार सिंह कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा बताया कि मै परिवादी के साथ परिवादी के निजी वाहन से रवाना होकर श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू के सरकारी निवास स्थान डाक बंगला दूदू के पास पहुचकर डिजिटल वायस रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड को चालू कर परिवादी को समय 06.36 पीएम पर रवाना किया तथा मै जिला कलक्टर दूदू के निवास स्थान के आस पास खडा रहा, जहां पर मैने परिवादी को जिला कलक्टर दूदू के निवास स्थान के अन्दर जाते हुऐ देखा, जहां से कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मुझे देने पर मैने डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बंद कर अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी श्री सूर्यप्रकाश सैनी ने बताया कि मैं व सरदार सिंह कानि.के साथ संदिग्ध अधिकारी श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू के निवास स्थान के लिए गए, जहां संदिग्ध अधिकारी श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू के निवास स्थान से कुछ दूरी पहले पहुचे, जहां पर श्री सरदार सिंह ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके दिया। जिस पर मै संदिग्ध अधिकारी श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.)जिला कलक्टर दूदू के निवास के अन्दर गया। जहां पर श्री हनुमान मल ढाका मौजूद मिले, जिन्होने मुझे अपने अतिथि कक्ष में बिठाकर चाय पिलाई तथा मुझसे मेरी भूमि के कन्वर्जन में अब्दुल रहमान का नोट नहीं लगाने एवं दिल्ली से हुई शिकायत का निस्तारण करने की एवज में पच्चीस लाख रूपए की मांग की तथा मेरे द्वारा कम करने की कहने पर इक्कीस लाख रूपए रिश्वत राशि पर सहमत हुए। तब मैंने इनको मेरे मालिक श्री पवन गर्ग से वार्ता कर सुबह बताने के लिए कहा। तत्पश्चात हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) कलक्टर दूदू ने मुझे कल पुनः मिलने के लिए कहा। इसके पश्चात् मैं वहां से रवाना होकर श्री सरदार सिंह कानि. के पास आया और उन्हे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड दे दिया जिन्होनें डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बंद कर अपने पास रख लिया और हम दोनो रवाना होकर आपके पास आए। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चलाकर सुना तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी तथा मन् अति.पुलिस अधीक्षक मय सरदार सिंह कानि. व इन्द्रसिंह कानि. के एसीबी कार्यालय के लिए समय 7.55 पीएम पर रवाना होकर जयपुर पहुचे। दिनांक 15.04.2024 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय श्री सरदार सिंह कानि व श्री इन्द्र सिंह कानि के निजी वाहन से दूदू के लिए रवाना होकर दूदू में पुलिया के पास पहुचे, जहां पर परिवादी से जरिये दूरभाष वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि अजमेर रोड हाईवे की तरफ महावीर होटल के पास में खडा हू जहां पर आप आ जाये, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षम मय हमराहियान के

महावीर होटल के पास पहुचे, जहां पर परिवादी उपस्थित मिला, जिसने कहा कि अभी श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू अभी निवास स्थान पर ही है अभी मिल जायेगे। तत्पश्चात श्री सरदार सिंह कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा श्री सरदार सिंह कानि व परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर समय 09.33 एएम पर मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। समय 10.20 एएम पर श्री सरदार सिंह कानि मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मय परिवादी श्री सूर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजू उपस्थित आए तथा श्री सरदार सिंह कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा बताया कि मै परिवादी के साथ परिवादी के निजी वाहन से रवाना होकर दूदू बस स्टैण्ड पहुचे, जहां पर मैने परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर समय 9.49 एएम पर मांग सत्यापन हेतु रवाना किया, कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया और मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड देने पर मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया की कलक्टर साहब ने 15 लाख रूपये लेने पर सहमत हुये है और आज ही शाम को घर बुलाया है। तत्पश्चात परिवादी श्री सूर्यप्रकाश सैनी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै व सरदार सिंह कानिस्टेबल मेरे निजी वाहन से श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) के सरकारी निवास स्थान के लिए रवाना होकर बस स्टैण्ड दूदू पहुचे, जहां पर श्री सरदार सिंह ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर दिया, तत्पश्चात मै श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) के निवास स्थान पर पहुचा, जहां पर मुझे श्री हनुमानमल ढाका मिले, जिनको मैने कहा कि मेरी मेरे मालिक श्री पवन गर्ग से वार्ता हुई थी तो उन्होने मुझे कहा कि 21 लाख रूपये तो ज्यादा है, 15 लाख में बात करो, इस पर श्री हनुमान मल ढाका ने कहा कि कब तथा कहा दोगे, तो मैने कहा कि आप बताओ, तो उन्होने अपने निवास स्थान पर ही शाम को देने के लिए कहा तथा दो किश्तो में मैने देने के लिए कहा है, जिसमें प्रथम किश्त सात लाख पचास हजार रूपये आज ही शाम को देने है, मिठाई के डिब्बे में, आदि वार्ता रिकार्ड होना बताया। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना तो रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी के कथनों से ताईद होना पाई गई। आरोपी श्री हनुमान मल ढाका ने परिवादी से रिश्वत के तौर पर 15 लाख रूपये की मांग करना स्पष्ट है। इसके पश्चात परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से कहा कि मुझे पैसो की व्यवस्था करने में समय लगेगा। आप करीब 4 बजे के आस पास दूदू ही आ जाना, तब तक में 7,50,000 रूपये की व्यवस्था कर लूंगा। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के जयपुर के लिए समय 10.50 एएम पर रवाना होकर जयपुर एसीबी कार्यालय पहुचे तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमेरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में बंद अवस्था में सुरक्षित रखा गया। समय 04.30 पी एम पर परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजू का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसअप फोन आया और मुझे कहा कि मैने कई जगह पैसो की व्यवस्था के लिए वार्ता की है अभी मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली 7,50,000 रूपयो की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिये आप मुझे 4-5 दिन का समय दो। मै रिश्वती राशि की व्यवस्था कर आपको सूचित कर दूंगा। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही करना। मै श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू से उनके कार्यालय में मिलकर आया तथा उनको भी मैने यह बात बता दी कि मेरे पास 7,50,000 रूपये की अभी व्यवस्था नहीं हो पाईगी तो श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू ने कहा कि कल घर पर बात करेगे । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को कहा कि अगर संदिग्ध अधिकारी का आपके पास फोन आवे तो आप उनको बता देना कि मै जयपुर से बाहर हू अभी रूपयो की व्यवस्था कर रहा हू तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 18.04.2024 को परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजू का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसअप फोन आया और मुझे कहा कि मै आज जिला कलक्टर कार्यालय में श्री हंसराज पटवारी से मिला और पटवारी को बताया कि आप श्री हनुमान मल ढाका जिला कलक्टर को बता दो कि मेरे पास अभी रूपयो की व्यवस्था नहीं होगी आप जिला कलक्टर को दिनांक 22.04.2024 तक रूपयो की व्यवस्था होना बता देना। जिस पर पटवारी श्री हंसराज ने श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू के कार्यालय के अन्दर गया और उनसे बात कर मुझे बताया कि श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर ने दिनांक 22.04.2024 को 7,50,000 रूपये देने के लिए कहा है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर एसीबी कार्यालय में दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित होने तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 20.04.2024 को परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजू का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जरिये व्हाटसअप फोन आया और मुझे कहा कि दिनांक 19.04.2024 को रात के समय लगभग 10.30 पीएम पर श्री हंसराज जाट पटवारी दूदू व श्री सांवरमल जाट पटवारी बिंजोलाव मेरे निवास पर आये तथा मुझे कहा कि श्री हनुमान मल ढाका जिला कलक्टर दूदू के पास उच्चाधिकारी का फोन आया है और वो अपनी गलती मान रहे है कि मेरे से गलती हो गई, आईन्दा कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। इस पर मेने कहा कि मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। फिर इन दोनो पटवारियों ने मुझे कहा कि अपन गांव के है कोई बात नहीं इंसान से गलती हो जाती है और इस मामले को यही पर बंद करवा दे ताकि हमारा भी पिण्ड छूटे। कलक्टर हमारे को बार बार फोन कर रहा है। श्री हंसराज जाट पटवारी ने मेरे पैर पकडे और कहा कि साहब की तरफ से मैं पैर पकडता हू हाथ जोडता हू। उनको माफ कर दे। समय 11.15 पीएम के लगभगं श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू भी मेरे घर के बाहर प्राईवेट

वाहन से आ गये, मैने पटवारी जी को बोला कि इनको (जिला कलक्टर दूदू श्री हनुमान मल ढाका, आई.ए.एस.) बोलो मेरे घर नही आवे। इसके पश्चात यह चले गये। श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू को मेरे उपर संदेह हो गया है वो अब मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को एसीबी कार्यालय में दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित होने की हिदायत दी तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई।। दिनांक 22.04.2024 को परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है उसको आज डॉक्टर को दिखाना है। मै कल दिनांक 23.04.2024 को कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। स्वतंत्र गवाहा को कल दिनांक 23.04.2024 को कार्यालय में बुलाने हेतु श्री विशाल कनिष्ठ सहायक को निर्देश दिये गये। दिनांक 23.04.2024 को परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजु व स्वतंत्र गवाह श्री संतोष कुमार मिश्रा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन झालाना डूंगरी जयपुर व श्री हेमराज गुर्जर कनिष्ठ लिपिक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरण्य भवन झालाना डूंगरी जयपुर उपस्थित आये, जिनका आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र गवाह को पढकर सुनाया तथा उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर दोनो ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये व अब तक के घटनाक्रम के बारे में दोनो स्वतत्रं गवाह को अवगत कराया कि परिवादी से आरोपी श्री हनुमान मल ढाका द्वारा रिश्वत राशि मांग करने पर दिनांक 14.04.2024 व दिनांक 15.04.2024 को सत्यापन कराने पर आरोपी द्वारा परिवादी से 25 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग कर पहले 21 लाख में सहमत होना व बाद में 15 लाख रूपये में सहमत हो गया । उक्त वार्ता की डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकालकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान श्री हेमराज गुर्जर व श्री संतोष मिश्रा की उपस्थिति में कम्प्यूटर की सहायता से जोडा गया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 14.04.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता व दिनांक 14.04.2024 व 15.04.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य आमने सामने हुई वार्ता होना पाई गई, रिकॉर्ड वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से चलाया जाकर स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजु की उपस्थिती मे कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चालू कर सूना जाकर रिश्वत की मांग के सम्बंध मे की गयी वार्ता की शब्द ब शब्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गयी तथा वार्ताओं को सुनने पर परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजु द्वारा एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री हनुमानमल ढाका(आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू राजस्थान की आवाज होने की पहचान की। उक्त रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्ताओं की कम्प्यूटर की सहायता से मूल सोर्स एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी से 05 सीडी तैयार की जाकर मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 दिया जाकर सीडी मार्क A-1, A-2, A-3 ¼ A-1, A-2 न्यायालय हेतु A-3 आरोपी हेतु) को मुताबिक फर्द सील्डमोहर किया एवं सीडी मार्क A-4, A-5¼ A-4 आईओ व A-5 एडीपी हेतु) को खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओ की हेश वेल्यू एवं मेमोरी कार्ड से तैयार की गई सीडीयों की हेश वेल्यू निकाली गई, दोनो हेश वेल्यू सामान होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को पृथक से मुताबिक फर्द सील्डमोहर कर मार्क SD दिया गया। उक्त सील्डशुदा सीडियों व एसडी कार्ड पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजु के मोबाईल फोन पर श्री हनुमान मल ढाका जिला कलक्टर दूदू से व्हाटसअप पर हुई वार्ता की व्हाटसअप कॉल डिटेल दिनांक 14.04.2024 व श्री हंसराज जाट पटवारी से व्हाटसअप पर हुई वार्ता की व्हाटसअप कॉल डिटेल की सरकारी कार्यालय के केमरे से फोटो लेकर कम्प्यूटर की सहायता से फोटो निकाली गई, जिस पर परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी व स्वतंत्र गवाह श्री संतोष मिश्रा व हेमराज गुर्जर की हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्द सुपुर्दगी, फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन, तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री हनुमान मल ढाका (आई.ए.एस.) हाल जिला कलक्टर दूदू द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का पुरूजौर दुरूपयोग करते हुऐ श्री हंसराज हल्का पटवारी दूदू से षडयंत्रपूर्वक मिलीभगत कर परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजु के मालिक श्री पवन गर्ग व अन्य के नाम दूदू में गोपालगंगा फर्म के नाम से फार्म हाउस है जो लगभग 204 बीघा में है। उक्त जमीन को कन्वर्जन करवाया था जिनमें से तीन खसरा नम्बर 4601 रकबा 0.46 है., 4596 रकबा 1.41 है., खसरा नंबर 4600 रकबा 0.43 है. भूमि तालाब/पाल क्षेत्र की है। जिनमें खसरा नंबर 4601 में रकबा 0.590, खसरा नंबर 4596 में रकबा 0.2258 की भूमि कन्वर्जन हो चुकी है। उक्त भूमि को आरोपी श्री हनुमान मल ढाका जिला कलक्टर दूदू ने व श्री हंसराज हल्का पटवारी दूदू ने मिलीभगत कर गलत कन्वर्जन होना बताकर अब्दुल रहमान का नोट अंकित कर पुनः निरस्त करने व दिल्ली से कोई शिकायत हो रखी है, की धमकी देकर अपने पद का प्रभाव डालकर उसका निस्तारण करने की एवज में परिवादी से 25 लाख रूपये की मांग करना तथा अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 14.04.2024 को परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजु व आरोपी श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूद के मध्य आमने सामने हुई वार्ता में 21 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग करना व दिनांक 15.04.2024 परिवादी श्री सुर्यप्रकाश सैनी उर्फ तेजु व आरोपी श्री हनुमानमल ढाका जिला कलक्टर दूदू के मध्य आमने सामने हुई वार्ता में 21 लाख रूपये की मांग कर 15 लाख रूपये में अपनी स्पष्ट सहमती देकर रिश्वती राशि सहमत होकर रिश्वत राशि मांग करना पाया

गया है। अतः अपने पद का दुरूपयोग कर नाजायज दबाव डालकर रिश्वती राशि 15 लाख रूपये की मांग करने से आरोपी श्री हनुमानमल ढाका (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर दूदू व श्री हंसराज हल्का पटवारी दूदू के विरूद्ध अपराध धारा 7 व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 384 भा0द0स0 में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (बलराम सिंह मीणा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री बलराम सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–चतुर्थ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384 भादंस में आरोपीगण 1-श्री हनुमानमल ढाका पुत्र श्री हरिराम, निवासी प्लाट नम्बर 121, गुरूजम्बेश्वर नगर–ए, तुलसीराम मार्ग गली नम्बर 04, गांधी पथ, वैशालीनगर जयपुर हाल जिला कलक्टर, दूदू एवं 2 श्री हंसराज पुत्र श्री छीतरमल, निवासी मावलियों की ढाणी उरसेवा, जिला दूदू हाल हल्का पटवारी, दूदू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 340 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 296-301 दिनांक 26.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–1, जयपुर। 2- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. जिला कलक्टर, दूदू। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–चतुर्थ, जयपुर। 5- श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/04/2024 13:44:19

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	16/08/1974				
2	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)